महत्वपूर्ण एवं खास

जिले के अनुसूचित एवं माड़ा क्षेत्रों में चना का वितरण शुरू, पात्र हितग्राहियों को मिलेगा लाभ

रायगढ़। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत जिले के अनुसूचित एवं माड़ा क्षेत्रों (विकास खण्ड खरसिया, धरमजयगढ़, तमनार, लैलूंगा, घरघोड़ा एवं विकास खण्ड रायगढ़ के माड़ा क्षेत्र) हेतु शासन द्वारा माह नवम्बर एवं दिसम्बर 2024 के बैकलॉग चना का भण्डारण नागरिक आपूर्ति निगम के माध्यम से शासकीय उचित मूल्य दुकानों में भण्डारित किया जा चुका है। सभी पात्र हितग्राहियों को प्रति राशनकार्ड प्रति माह 02 किलोग्राम के मान से एक साथ वितरित किया जा रहा है। इसी प्रकार माह जनवरी एवं फरवरी 2025 के चना का भण्डारण एक सप्ताह में पूर्ण कर लिया जाएगा, जिसके पश्चात सभी पात्र हितग्राहियों को माह जनवरी एवं फरवरी 2025 के बैकलॉग चना का वितरण प्रति राशनकार्ड प्रति माह 02 किलोग्राम के मान से माह मार्च 2025 के खाद्यान्न के साथ वितरित किया किया जाएगा। ऐसे बीपीएल हितग्राही जो जिले के अनुसूचित क्षेत्र एवं माड़ा क्षेत्रों के हितग्राही हैं वे अपना बैकलॉग चना संबंधित शासकीय उचित मूल्य दुकान से प्राप्त कर सकते हैं।

भू-सर्वेक्षण संबंधी कार्य के लिए अपर कलेक्टर रवि राही जिला सर्वेक्षण अधिकारी नियुक्त

रायगढ़। कलेक्टर कार्तिकेया गोयल ने छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता 1959 के अध्याय 7 की धारा 64-1 (ख)में उल्लेखित प्रावधान के तारतम्य में जिला रायगढ़ अंतर्गत अव्यस्थित संपूर्ण क्षेत्र के लिए भू-सर्वेक्षण कार्य संबंधी समस्त कार्य प्रक्रियाओं के संचालन तथा निष्पादन हेतु अपर कलेक्टर रायगढ़ रवि राही को आगामी आदेश पर्यन्त जिला सर्वेक्षण अधिकारी के रूप में कार्य करने हेतु आदेशित किया है।

कक्षा 10 वीं विज्ञान विषय की परीक्षा संपन्न : 12,501 परीक्षार्थी में 492 अनुपस्थित रहे

रायगढ़। छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल रायपुर द्वारा हाई स्कूल सर्टिफिकेट परीक्षा-2025 कक्षा 10 वीं बोर्ड परीक्षा के तहत 10 मार्च को विज्ञान विषय की परीक्षा संपन्न हुई। जिसमें 12 हजार 501 परीक्षार्थी संख्या दर्ज की गई थी। जिसमें से 12 हजार 009 परीक्षार्थियों ने परीक्षा दिलाई। 492 परीक्षार्थी अनुपस्थित रहे। जिले में कहीं भी नकल प्रकरण दर्ज नहीं किया गया है। परीक्षा शांतिपूर्ण संपन्न हुआ।

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अंतर्गत रिक्त पदों पर 27 मार्च तक मंगाए गए आवेदन

रायगढ़। कार्यालय जिला सेवा विधिक प्राधिकरण रायगढ़ अंतर्गत संचालित लीगल एड डिफेंस कौंसिल सिस्टम कार्यालय हेतु मानव संसाधन अंतर्गत रिक्त ऑफिस असिस्टेंट/क्लर्क के 2 पद तथा ऑफिस प्यून/चपरासी 2 पद के लिए 27 मार्च 2025 तक आवेदन मंगाए गए है। आवेदन पत्र विज्ञापन के साथ संलग्न प्रारुप में प्रस्तुत किये जा सकेंगे। पूर्णत: भरे हुए आवेदन पत्र बंद लिफाफे में, जिस पर वह आवेदित पद जिसके लिए आवेदन किया गया हो स्पष्ट रूप से उल्लेखित करते हुए प्रस्तुत करें। आवेदक अपना आवेदन पत्र स्वयं उपस्थित होकर कार्यालय जिला विधिक प्राधिकरण रायगढ में रखे गये ड्राप बॉक्स में सीधे जमा करेंगे या रजिस्टर्ड-पोस्ट, स्पीड पोस्ट के माध्यम से भेजे जा सकते हैं। अन्य किसी माध्यम से प्रेषित आवेदन पत्रों पर विचार नहीं किया जाएगा। आवेदन पत्र, कोरियर, ई-मेल या अन्य किसी माध्यम से स्वीकार नहीं किये जायेंगे। चयन प्रक्रिया के संबंध में जिला न्यायाधीश अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण रायगढ़ छत्तीसगढ़ का निर्णय अंतिम एवं बंधन कारी होगा।

तेज रफ्तार बाइक पेड़ से टकराई, दो की मौत, एक घायल

रायगढ़ (आरएनएस)। जिले के तमनार थाना क्षेत्र में तेज रफ्तार बाइक के पेड़ से टकराने से दो युवकों की मौत हो गई, जबकि एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। यह घटना रावणगुणा गांव के पास देर रात हुई। बताया जा रहा है कि बाइक पर तीन युवक सवार थे, जो बिजना गांव के रहने वाले थे और रावणगुणा गांव में आयोजित मेला देखने के लिए आए थे। तेज रफ्तार बाइक अनियंत्रित होकर सडक़ के किनारे लगे एक पेड़ से टकरा गई, जिससे दो युवकों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना की जानकारी सुबह ग्रामीणों को मिली, जब उन्होंने मौके पर शव और घायल युवक को देखा। इसके बाद उन्होंने पुलिस को सूचित किया। पुलिस ने घटनास्थल पर पहुंचकर मर्ग कायम कर लिया है और जांच शुरू कर दी है। घायल युवक को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। यह हादसा तेज रफ्तार और लापरवाही से हुई घटना का एक दुखद उदाहरण बनकर सामने आया है, जिसे लेकर स्थानीय पुलिस द्वारा जांच की जा रही है।

पीएम सूर्यघर योजना : 300 यूनिट तक निशुल्क बिजली, लाभार्थी के बैंक खाते में जमा की जाएगी सब्सिडी

- प्रधानमंत्री सूर्यघर योजना से कोड़ातराई के जयनारायण एवं राजेश को बिजली बिल में मिल रही बड़ी राहत
- 833 ने किया आवेदन, जिले के 69 उपभोक्ताओं के यहां लग चुका सौर संयंत्र

रायगढ़

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा वर्ष 2024 में देश भर में लागू की गई प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना से लोगों को भारी-भरकम बिजली बिल से राहत मिल रही है। यह योजना लोगों के लिए मील का पत्थर साबित हो रही है। जिसकी बानगी जिले के ग्राम-कोड़ातराई में भी देखने को मिला है।

ग्राम-कोड़ातराई के जयनारायण चौधरी बताते हैं कि वे बिजली बिल से काफी परेशान थे। हर माह 2 हजार से 2500 रुपये बिजली बिल आता था। तभी उन्हें प्रधानमंत्री सूर्य घर बिजली योजना की जानकारी विद्युत विभाग द्वारा प्राप्त हुई तथा योजना का लाभ लेने आवेदन दिया और एक माह में ही उनका सौर पैनल लग गया। उन्होंने तीन किलोवाट का पैनल लगवाया है। जिसकी लागत 1 लाख 90 हजार रूपये आयी। जिसमें 78 हजार रुपये उनके बैंक खाते में सब्सिडी भी प्राप्त हुई है। इसी तरह कोड़ातराई के ही राजेश कुमार चौधरी ने बताया कि वे भी प्रतिमाह के भारी-भरकम बिजली बिल से परेशान थे। इसी बीच उन्हें डाकघर के माध्यम से योजना की जानकारी मिली। इस बारे में और अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए उन्होंने विद्युत विभाग के कार्यालय में जाकर संपर्क किया। उन्होंने इसके लिए आवेदन किया और लगभग एक से डेढ़ सप्ताह के प्रोसेस पश्चात तीन किलोवाट का पैनल लग गया। प्रतिमाह लगभग 300 से 350 यूनिट का उत्पादन हो रहा है। उन्होंने बताया कि सोलर प्लांट लगने से बिजली बिल में काफी कमी आई है। दोनों आवेदकों ने योजना की सराहना करते हुए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को धन्यवाद ज्ञापित किया है।

प्रधानमंत्री सूर्यघर योजना का उद्देश्य देश के नागरिकों को सस्ती और स्थायी ऊर्जा मुहैय्या कराना है। प्रधानमंत्री सूर्यघर योजना बीते 29 फरवरी 2024 को देशभर में लागू की गयी है। यह योजना सभी घरेलू विद्युत उपभोक्ताओं को अपने घर की छत पर सोलर प्लेट लगाकर विद्युत उत्पादन करने की छुट देती है। इसमें उपभोक्ता अपने आवश्यकता अनुसार 1 किलो, 2 किलो एवं 3 किलो वॉट तक का सौर सयंत्र लगा सकता है। इसमें सभी घरेलू विद्युत उपभोक्ता इस योजना के पात्र है। इसके लिए आवेदक राष्ट्रीय पोर्टल https://pmsuryaghar.gov.in में आवेदन कर सकते है। जिसके लिए आवेदक प्रतिमाह औसत 300 यूनिट बिजली का बचत कर बिजली बिल का लागत 2 हजार रुपये तक कम कर सकते है। साथ ही पर्यावरण को लाभ के साथ ही स्वच्छ व हरित ऊर्जा के उपयोग से कार्बन फुट प्रिंट में कमी होगी। आवेदक को दस्तावेज के रूप में बिजली बिल की कापी तथा सब्सिडी प्राप्त करने हेतु बैंक डिटेल जमा करना होगा। बैंक लोन के लिए आवेदक लागत राशि का लगभग 90 प्रतिशत तक बैंक लोन की राशि न्यूनतम 7 प्रतिशत ब्याज दर पर प्राप्त कर सकते है।

833 उपभोक्ताओं ने किया आवेदन

वर्तमान में जिले में 833 उपभोक्ताओं द्वारा योजना हेतु आवेदन किया गया है तथा 69 उपभोक्ताओं के यहां सौर संयत्र लग चुका है। आर्दश सौर ग्राम प्रत्येक जिले से 1 आर्दश सौर ग्राम का चयन किया गया है। जिसमें रायगढ़ जिले से ग्राम कोड़ातराई का चयन किया गया है जहां से पात्र 187 आवेदकों में से 46 आवेदकों द्वारा योजना हेतु आवेदन किया गया है तथा 4 उपभोक्ताओं का सौर संयंत्र स्थापित हो चुका हैए और वे योजना का लाभ प्राप्त कर रहे है।

नोट गिनने की मशीन लेकर भूपेश के घर पहुंचे ईडी अफसर

- - डिजीटल ट्रांजेक्शन के हिसाब खंगाल रहे अफसर
- -समर्थकों ने अफसरों से की झूमाझटकी, गाड़ियों में तोडफ़ोड़ का प्रयास

रायपुर। आरएनएस

भिलाई में ईडी की जांच के बीच 11 घंटे की पूछताछ के बाद पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल घर से बाहर निकले और कांग्रेसी नेताओं व समर्थकों से मुलाकात की.सूत्रों के हवाले से मिली जानकारी के मुताबिक, बघेल के निवास में बड़ी मात्रा में नगदी मिलने की सूचना पर ईडी और बैंक के अधिकारी नोट गिनने की मशीन लेकर बघेल के घर पहुंचे हैं. ईडी ने कई महत्वपूर्ण दस्तावेजों को भी जब्त किया है. भूपेश बघेल के घर से 6 मोबाइल फोन से ईडी के अधिकारी बातचीत की डिटेल खंगाल रहे. वहीं भूपेश बघेल के निवास के बाहर ईडी की कार्रवाई से आक्रोशित समर्थकों की नारेबाजी जारी है. समर्थकों ने अफसरों से झूमाझटकी करते हुए ईडी अफसर के वाहन पर तोडफ़ोड़ की कोशिश की है. इसे देखते हुए भूपेश बघेल के घर के बाहर सुरक्षा बढ़ा दी गई है. बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया है.सूत्रों के हवाले से मिली जानकारी के मुताबिक, बघेल के निवास में बड़ी मात्रा में नगदी मिलने की सूचना पर ईडी और बैंक के अधिकारी नोट गिनने की मशीन लेकर बघेल के घर पहुंचे हैं. ईडी ने कई महत्वपूर्ण दस्तावेजों को भी जब्त किया है. भूपेश बघेल के घर से 6 मोबाइल फोन से ईडी के अधिकारी बातचीत की डिटेल खंगाल रहे. डिजिटल ट्रांजेक्शन के हिसाब निकाल रहे.

विशेष आवश्यकता वाले दिव्यांग बच्चों के लिए आयोजित हुआ विकासखंड स्तरीय आकलन एवं परीक्षण शिविर

- जिले के स्पेशलिस्ट डॉक्टरों ने किया बच्चों का स्वास्थ्य परीक्षण
- 38 स्कूलों के लगभग 61 बच्चों का स्वास्थ्य परीक्षण हेतु किया गया पंजीयन
- शिविर स्थल में बच्चों का बनाया गया यूडीआईडी कार्ड

रायगढ़

विशेष आवश्यकता वाले दिव्यांग बच्चों का विकासखंड स्तरीय आकलन एवं परीक्षण शिविर का आयोजन स्थानीय जिला अस्पताल में आयोजित किया गया। रायगढ़ जिला शिक्षा अधिकारी डॉ.के.वी.राव एवं जिला मिशन समन्वयक नरेन्द्र चौधरी के निर्देशन तथा विकासखंड शिक्षा अधिकारी जी.आर.जटवार के मार्गदर्शन में इस शिविर में विशेषज्ञ चिकित्सकों द्वारा बच्चों का स्वास्थ्य परीक्षण कर बच्चों के लिए उपचार अथवा सामग्री रेफर की गई।

विकासखंड स्तरीय इस शिविर में जिले के स्पेशलिस्ट डॉक्टर आर.एन.मंडा, डॉक्टर सिद्धार्थ सिंह, डॉक्टर मीना पटेल, डॉक्टर अर्जुन कुमार बेहेरा, डॉक्टर नवीन अग्रवाल आदि की टीम ने बच्चों के स्वास्थ्य जांच की। इस आकलन शिविर में विकासखंड के कुल 38 स्कूलों के लगभग 61 बच्चों ने स्वास्थ्य परीक्षण हेतु पंजीयन कराया। शिविर में पात्र बच्चों का यूडीआईडी कार्ड शिविर स्थल पर ही बनाया जा रहा था। शिविर के दौरान विकासखंड शिक्षा अधिकारी, विकासखंड स्त्रोत समन्वयक मनोज अग्रवाल, स्पेशल एजुकेटर दीपक कुमार रात्रै, बीआरपी सुमित्रा चंद्र, हेल्पर पार्वती यादव, लेखापाल सतीश गौतम तथा अन्य सहयोगी शिक्षक उपस्थित रहे।

रायगढ़ जिले में नवीन महिला थाना का शुभारंभ, महिला सुरक्षा को मिलेगी मजबूती

रायगढ़

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने आज रायगढ़ जिले के नवीन महिला थाना का वर्चुअल शुभारंभ रायपुर से किया गया। इस अवसर पर उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा, पुलिस महानिदेशक अरूण देव गौतम, ओएसडी राहुल भगत, पुलिस महानिरीक्षक अमरेश मिश्रा व आला अधिकारी उपस्थित थे। मुख्यमंत्री द्वारा थानों का वर्चुअल उद्घाटन कर बधाई और शुभकामनाएं दी गई। राज्य शासन द्वारा वित्तीय वर्ष 2024-25 के मुख्य बजट में प्रदेश में पांच नए महिला थानों की स्थापना को मंजूरी दी गई थी, जिसमें रायगढ़ का भी चयन किया गया है। जिले में लंबे समय से महिला थाना की जरूरत महसूस की जा रही थी, माननीय गृह मंत्री, वित्त मंत्री व जनप्रतिनिधियों की पहल से इसे बजट में शामिल किया गया। प्रशासकीय स्वीकृति मिलते ही पुलिस अधीक्षक दिव्यांग कुमार पटेल के निर्देशन में कार्य तेज हुआ और जल्द ही महिला थाना की शुरुआत सुनिश्चित की गई। यह थाना महिला सेल भवन से संचालित होगा।

मुख्यमंत्री द्वारा वर्चुअल उद्घाटन के बाद पुलिस अधीक्षक दिव्यांग कुमार पटेल की अध्यक्षता में शुभारंभ कार्यक्रम संपन्न हुआ। पुलिस अधीक्षक द्वारा कार्यक्रम में उपस्थित महिला पुलिसकर्मियों से रिबन कटवाये। उन्होंने बताया कि प्रदेश के माननीय गृह मंत्री, वित्त मंत्री तथा जनप्रतिनिधियों के साथ प्रशासनिक, पुलिस अधिकारियों द्वारा लगातार महिला थाने के लिए प्रयास किया जा रहा था। उन्होंने बताया कि पहले महिला सेल से महिलाओं की काउंसलिंग, शिकायतों की जांच आदि की कार्यवाही की जाती थी, अब महिला थाना में ही अपराध दर्ज होकर जांच विवेचना कार्य किया जाएगा जिससे महिलाओं से जुड़े अपराधों की जांच तेज होगी और शिकायतों के निपटारे में अधिक प्रभावी कार्यवाही हो सकेगी। इस थाने का पर्यवेक्षण डीएसपी उन्नति ठाकुर करेंगी, जबकि थाना प्रभारी की जिम्मेदारी उप निरीक्षक दीपिका निर्मलकर को सौंपी गई है।

पुलिस अधीक्षक ने बताया कि महिला थाना में पर्याप्त महिला बल और संसाधन उपलब्ध कराए जा रहे हैं, ताकि शिकायत लेकर आने वाली पीड़ित महिलाओं और बच्चों को सुरक्षित और सहज माहौल मिले। उनकी शिकायतों पर त्वरित कार्यवाही कर न्याय दिलाना रायगढ़ पुलिस की प्राथमिकता होगी। इस अवसर पर उप निरीक्षक पुलिस अधीक्षक साधना सिंह, सुशांतो बनर्जी, थाना प्रभारी कोतवाली निरीक्षक सुखनंदन पटेल, थाना प्रभारी जूटमिल निरीक्षक मोहन भारद्वाज, सहायक उपरीक्षक सरस्वती महापात्रे तथा महिला थाना स्टाफ के साथ प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के प्रतिनिधि भी उपस्थित रहे।

पीएम इंटर्नशिप स्कीम 2.0 के पंजीयन हेतु 11 एवं 12 मार्च को लगेगा कैम्प

- आईटीआई पुसौर में सुबह 11 बजे से शाम 4 बजे तक होगा कैम्प आयोजित

रायगढ़

शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था, पुसौर में पीएम इंटर्नशिप स्कीम 2.0 के पंजीयन/आवेदन पत्र जमा करने हेतु संस्था परिसर में 11 एवं 12 मार्च 2025 को सुबह 11 बजे से शाम 4 बजे तक कैम्प आयोजित किया जाएगा। अभ्यर्थी कैम्प में उपस्थित होकर नि:शुल्क पंजीयन/आवेदन कर सकते है। योजना में 10 वीं, 12 वीं, आईटीआई, डिप्लोमा, स्नातक उत्तीर्ण विद्यार्थी जो नियमित उच्च शिक्षा में पंजीकृत न हो, किसी नियमित जॉब, नियोजन में न हो आवेदक के परिवार का कोई सदस्य सरकारी नौकरी में न हो, परिवार के किसी सदस्य का वार्षिक आय 8 लाख रूपये से अधिक न हो तथा आवेदक की उम्र 21 से 24 के मध्य हो वो इंटर्नशिप के लिए आवेदन कर सकते है।

चयनित उम्मीदवार को 5 हजार रुपये प्रतिमाह स्टायपन्ड एवं 6 हजार रुपये की एकमुश्त वित्तीय सहायता दी जाएगी। आवेदन के लिए ऑनलाईन पोर्टल प्रारंभ किया गया है। आवेदन प्रक्रिया नि:शुल्क है। आवेदन फार्म भरने की अंतिम तिथि 12 मार्च है। आवेदन किसी भी लोक सेवा केन्द्र अथवा स्वयं के मोबाईल से भी किया जा सकता है। आवश्यक कार्यवाही एवं विस्तृत जानकारी के लिए संस्था के कर्मचारी तुलाराम पटेल प्रशि.अधिकारी के मोबाईल नंबर 8358994132 पर संपर्क कर सकते है।

बाल विवाह रोकना हम सब की जिम्मेदारी-एडीएम संतन देवी जांगड़े

बाल विवाह रोकने प्रभावी क्रियान्वयन हेतु समाज एवं एनजीओ प्रमुखों की ली बैठक

- बाल विवाह के नुकसान, दंड एवं शिकायत हेल्प लाइन के संबंध में दी गई जानकारी
- बाल विवाह रोकने समाज प्रमुख एवं एनजीओ प्रमुखों ने ली शपथ

रायगढ़

कलेक्टर कार्तिकेया गोयल के निर्देशन में एडीएम संतन देवी जांगड़े ने बाल विवाह रोकने के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु समाज एवं एनजीओ प्रमुखों की बैठक कलेक्टोरेट सभा कक्ष में ली।

एडीएम संतन देवी जांगड़े ने कहा कि 21 वर्ष से कम उम्र के लड़का एवं 18 वर्ष से कम उम्र की लड़की का विवाह कराया जाता है तो यह बाल विवाह की श्रेणी में आता है। अधिकांश समाजों में यह प्रचलित है, जो सामाजिक अभिशाप है। उन्होंने बाल विवाह के पश्चात बच्चों के जीवन में होने वाले दुष्परिणाम की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि बाल विवाह रोकना एवं खत्म करना हम सब की जिम्मेदारी है। जो सामूहिक प्रयास एवं जागरूकता से संभव हो पाएगा। उन्होंने सभी समाज प्रमुख एवं एनजीओ से जिले में बाल विवाह रोकने हेतु लोगों को जागरूक करने की दिशा में पहल करने को कहा।

इस दौरान डीपीओ एल.आर. कच्छप ने बाल विवाह के संबंध में विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने बताया कि कई समाज में रीति-रिवाज के कारण कम उम्र में शादी कर दी जाती है। जिससे बच्चों का बचपन के साथ ही शिक्षा से वंचित होना, मानसिक एवं शारीरिक स्वास्थ्य पर बुरा असर, गर्भ के दौरान जच्चा बच्चा की मृत्यु की संभावना, कुपोषित शिशु होना जैसी विभिन्न समस्याओं का सामना करना पड़ता है। उन्होंने बताया कि बाल विवाह को रोकने के लिए वर्तमान में बाल प्रतिषेध अधिकारी का दायरा बढ़ते हुए बाल विकास परियोजना अधिकारी, आंगनबाड़ी सुपरवाइजर तथा ग्राम पंचायत सचिव को बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी नियुक्त किया गया है। इसके अलावा बाल विवाह करवाने एवं सहयोग करने वालों पर सजा का भी प्रावधान है। जिसके तहत बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 के अनुसार 2 वर्ष का कारावास या एक लाख रुपए का जुर्माना अथवा दोनों से दंडित किया जा सकता है। इस दौरान उन्होंने बाल विवाह मुक्त भारत अभियान के संबंध में भी जानकारी दी। डीपीओ कच्छप ने बताया कि जिला अधिकारी, बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी, चाइल्ड हेल्पलाइन (1098), पुलिस, महिला हेल्पलाइन (181) में बाल विवाह होने की सूचना दी जा सकती है, जिस पर विभाग समन्वय कर कार्यवाही की जाती है।

एडीएम जांगड़े ने बाल विवाह रोकने दिलाई शपथ

एडीएम जांगड़े ने उपस्थित समाज प्रमुख, एनजीओ एवं अधिकारियों को बाल विवाह रोकने एवं सामाजिक बुराई को दूर करने शपथ दिलाई। सभी लोगों ने शपथ ली कि बाल विवाह सामाजिक बुराई एवं कानून का उल्लंघन है। जिससे बालिकाओं के शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा एवं विकास में बाधक है। बाल विवाह रोकने हरसंभव प्रयास किया जाएगा। आस-पड़ोस एवं समाज में बाल विवाह नहीं होने देने तथा होने की स्थिति में इसकी सूचना सरकार को देने। बच्चों के शिक्षा और सुरक्षा के लिए आवाज बुलंद करते हुए बाल विवाह मुक्त भारत के निर्माण की शपथ ली।

बाल विवाह करवाने वालों पर हो सकती है कानूनी कार्यवाही

डीपीओ कच्छप ने कहा कि बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 के अंतर्गत बाल विवाह करने वाले वर एवं वधू के माता-पिता, सगे संबंधी, बाराती यहां तक की विवाह करने वाले पुरोहित पर भी कानूनी कार्यवाही की जा सकती है। इसके अतिरिक्त यदि वर या वधू बाल विवाह पश्चात विवाह को स्वीकार नहीं करते हैं तो बालिक होने के पश्चात विवाह को शून्य घोषित करने हेतु आवेदन कर सकते हैं। उन्होंने बाल विवाह प्रथा के उन्मूलन के लिए जनप्रतिनिधि, ग्राम प्रतिनिधि, सामाजिक संगठन सहित आम जनों से सहयोग की अपील की है।

स्वामी, मुद्रक प्रकाशक तथा संपादक सी.बी.वर्मा द्वारा न्यायसाक्षी प्रिंटर्स, प्लॉट नं. 327, वार्ड नं. 24, श्रीराम कॉलोनी स्टेडियम के पीछे रायगढ़ से मुद्रित एवं प्रकाशित फोन 07762-२21359 पी.आर.बी. अधिनियम के तहत् खबरों के चयन के लिए जिम्मेदार ई-मेल - nyaysakshi@gmail.com- www.nyaysakshi.com, RNI NO :- CHHHIN/2018/76480